

प्राथमिक स्तर के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव

रवीन्द्र कुमार*

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का महत्व गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही रहा है। यदि भारतीय शिक्षा के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो प्रारंभ में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा का ही प्रावधान था। आज़ादी के बाद से ही प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि प्राथमिक शिक्षा ही बच्चे की बुनियादी शिक्षा होती है जिसके आधार पर वह उच्च शिक्षा रूपी भवनों का निर्माण कर सकता है। इस स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भारत सरकार की प्राथमिकता रही है फिर भी आज भारतवर्ष में सबसे बुरी स्थिति सरकार के अधीन प्राथमिक विद्यालयों की ही मानी जाती है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु सरकार द्वारा और प्रबल कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। संविधान की धारा 21ए के फलस्वरूप *निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009* देश में वर्ष 2010 में लागू होने के बाद से ही बच्चों के शिक्षण के लिए नवोन्मेषी शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग की होड़ ही लग गई है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे आँगनबाड़ी में पढ़ने के पश्चात् प्रवेश लेते हैं उनकी उपलब्धि सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में कम होती है या ज्यादा? इस समस्या के लिए इन बच्चों का न्यादर्श की रैंडम विधि का प्रयोग करके उनकी शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया गया है जिसके लिए सांख्यिकी की टी-परीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि जो बच्चे आँगनबाड़ी में पढ़ने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं उनकी समझ सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों से अधिक होती है। यह कहा जा सकता है कि आँगनबाड़ी शिक्षा प्रणाली बच्चों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करने के लिए एक सशक्त शिक्षा व्यवस्था है। इसके प्रभाव को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था के दिए गए महत्व से भी जाना जा सकता है।

शोध की पृष्ठभूमि

कहा जाता है कि समाज शिक्षा को जन्म देता है और शिक्षा एक आदर्श समाज की कल्पना को पूर्ण करती

है। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। शिक्षा तथा समाज का अटूट संबंध रहा है और भविष्य में भी रहेगा जिसको नकारा नहीं जा सकता है। बच्चों के

* सहायक आचार्य, अध्यापक शिक्षा विभाग, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार

विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः प्रत्येक समाज का यह दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था अथवा प्रावधान करे। यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयासों को पर्याप्त गंभीरता से लिया जाता रहा है और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में समुचित प्रावधान किए गए जाते रहे हैं। भारत के संविधान में नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत 45वें अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु पुनः 28 नवंबर 2002 को 86वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उनके मौलिक अधिकार के रूप में 21ए के तहत घोषित कर दिया गया (सूचना प्रसारण मंत्रालय, 2021)। इसी क्रम में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002 के दौरान आँगनबाड़ियों की स्थापना पर बल दिया गया और उनकी दशा सुधारने हेतु प्रयास किए जाने लगे, इसके साथ-साथ इनमें कार्यरत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक और सराहनीय कदम उठाया गया जिसमें सन् 2001 में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ (एस.एस.ए.) की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत आँगनबाड़ियों और बालवाड़ियों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया और इन्हें प्राथमिक विद्यालयों के पास ही स्थापित किया जाने लगा। परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार के पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education PPE) केंद्रों को चलाने के लिए प्रत्येक जिले को 15

लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहयोग दिया जाने लगा। प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) का मुख्य लक्ष्य उन स्थानों पर आँगनबाड़ियों की स्थापना करना था जिन स्थानों पर अभी तक इनकी स्थापना नहीं हो पाई थी। इसके साथ-साथ आँगनबाड़ियों की कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उनकी दशा सुधारना था तथा साथ-ही-साथ सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक स्कूलों के साथ एक वर्षीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना भी रहा था (लाल, 2014, पृ. 335–337)।

स्वतंत्रता के उपरांत से ही देश में प्रारंभिक शिक्षा के विकास के साथ-साथ बाल विकास को भी विशेष महत्व दिया जाने लगा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कल्याण और मनोरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया जाने लगा था तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं, जैसे— समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.), सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास योजना, अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम, विशेष पोषाहार वितरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सहयोग और बाल विकास संस्थान, मध्याह्न भोजन योजना आदि द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने लगे और अभी भी किए जा रहे हैं। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आँगनबाड़ियों की स्थापना कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई, जैसे— (i) 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना; (ii) मृत्युदर, कुपोषण

तथा स्कूल छोड़ने की दरों में गिरावट लाना; (iii) बाल विकास हेतु विभिन्न नीति एवं क्रियान्वयन के मध्य संयोजन को प्राप्त करना और (iv) उचित पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं एवं उनके सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल हेतु गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना आदि। इतना ही नहीं 2 अक्टूबर, 1975 को समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) को शुरू किया गया (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2012)। इस योजना को देश के 33 विकास खंडों में लागू किया गया जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में यह परियोजना तीन विकास खंडों में स्थापित की गई थी, जो हैं— (1) शंकर गढ़ (प्रयागराज), (2) डलमऊ (रायबरेली) तथा (3) अलीगढ़। आई.सी.डी.एस. भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जो बच्चों के बचपन की देखभाल और विकास के लिए सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। आई.सी.डी.एस. योजना के तहत लाभार्थियों में 0–6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। आई.सी.डी.एस. में चार अलग-अलग घटक होते हैं, जैसे— (i) बचपन की देखभाल, शिक्षा और विकास; (ii) देखभाल और पोषण परामर्श, (iii) स्वास्थ्य सेवाएँ तथा (iv) समुदाय संघटन जागरूकता, वकालत और सूचना, शिक्षा और संचार। परंतु इस योजना का ज्यादातर कार्यान्वयन संपूर्ण भारतवर्ष में आँगनवाड़ियों के माध्यम से किया जाता रहा है (नीति आयोग, 2015)। लगभग 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास हो चुका होता है, बच्चे के उचित विकास

और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 58)। इसी आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 3–6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना है।

भारतीय संदर्भ में आँगनबाड़ी

आँगनबाड़ी, भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र हैं। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में, 1975 में इन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आँगनबाड़ी का अर्थ है, ‘आँगन आश्रय’। इस प्रकार का आँगनबाड़ी केंद्र भारतीय गाँवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भनिरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण शिक्षा और अनुपूरक, साथ ही पूर्व-विद्यालय की गतिविधियाँ शामिल हैं। केंद्रों को मौखिक रीहाइड्रेशन नमक, बुनियादी दवाओं और गर्भनिरोधकों के लिए डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिसर्च गैप

आज प्रायः सभी समाजों में शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गों में बाँटा गया है और उनमें प्रत्येक वर्ग की शिक्षा का अपना महत्व है। हमारे देश में अशिक्षा और निरक्षरता का प्रकोप एक वंशानुगत रोग की भाँति व्याप्त है। अभी भी भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं, दूरदराज इलाके हैं, जहाँ विद्यालय

क्रम टूटने का सिलसिला निरंतर जारी है। इन क्षेत्रों में आँगनबाड़ी व्यवस्था को लागू करना विद्यालय क्रम के सिलसिले को जोड़े रखने की दिशा में सार्थक कदम है। बच्चे की आयु तीन वर्ष होने से पूर्व ही माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और पोषण दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है और साथ-ही-साथ बातचीत, खेलकूद, चलने-फिरने, ध्वनि व संगीत तथा विशेष रूप से दृश्य एवं स्पर्श के साथ अन्य ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाशीलता के द्वारा संज्ञानात्मक और भावात्मक उत्प्रेरण उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना कि इस आयु के बच्चों में भाषाओं, संख्याओं तथा समस्या समाधान की परिस्थिति से अवगत होना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए बड़े सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परंतु वर्तमान में आँगनबाड़ियों के उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं, जैसे— शिशुओं की देखभाल एवं उनके उचित पोषण के साथ-साथ उन्हें सुनने, बोलने और शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना, शिशुओं को अपना कार्य अपने आप करने में प्रशिक्षित करना तथा शिशुओं को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना आदि।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया है—

1. प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों के सामान्य ज्ञान की तुलना करना।
2. प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों की भाषायी दक्षता की तुलना करना।

3. प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों के गणितीय ज्ञान की तुलना करना।

शोध प्रश्न

शोध पत्र के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित शोध प्रश्न निर्धारित किए गए हैं—

1. क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों के सामान्य ज्ञान का स्तर अधिक होता है?
2. क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों में भाषायी दक्षता अधिक होती है?
3. क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों में गणितीय ज्ञान का स्तर अधिक होता है?

शोध प्रक्रिया

शोध हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का चुनाव किया गया है। न्यादर्श का निर्धारण यादृच्छिक प्रविधि की सहायता से किया गया, जिसमें उत्तर-प्रदेश के मेरठ के तीन ब्लॉकों के चार-चार प्राथमिक विद्यालयों को चुना गया था। यह शोध पत्र प्रारंभिक विद्यालय में पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की सामान्य ज्ञान तथा भाषायी दक्षता संबंधी उपलब्धि को जानने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आँकड़ों के संकलन के लिए एक स्वनिर्मित शोध उपकरण 'बच्चों के सामान्य ज्ञान, भाषायी दक्षता तथा गणितीय अभिज्ञता का उपलब्धि परीक्षण' को चयनित न्यादर्शों पर प्रशासित किया गया तत्पश्चात् प्राप्त आँकड़ों की प्रकृति के आधार पर टी-परीक्षण सांख्यिकी प्रविधि के आधार पर शोध कर के निष्कर्षों की व्याख्या की गई।

शोध के परिणाम एवं निष्कर्ष

प्रश्न 1— क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों के सामान्य ज्ञान का स्तर अधिक होता है?

तालिका 1 के अवलोकन से पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 7.50 एवं मानक विचलन 3.10 प्राप्त हुआ है जबकि इसी स्तर पर आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 10.5 तथा मानक विचलन 4.08 प्राप्त हुआ है। आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चे तथा आँगनबाड़ी

द्वारा प्रवेशित बच्चों के सांख्यिकी मानों में उच्च स्तरीय सार्थकता ($t = 6.52, p < 0.01$) प्राप्त हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों का सामान्य ज्ञान स्तर अधिक अच्छा पाया गया है। प्राप्त सांख्यिकी आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि बच्चों को आँगनबाड़ी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित किया जाता है तो निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है।

तालिका 1

प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित बच्चे	बच्चों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी-परीक्षण (t)
सीधे प्रवेशित विद्यार्थी	50	7.50	3.10	6.52*
आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित विद्यार्थी	52	10.5	4.08	

*सार्थकता स्तर 0.01

तालिका 2

प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित बच्चे	बच्चों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी-परीक्षण (t)
सीधे प्रवेशित विद्यार्थी	50	5.12	2.80	7.70*
आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित विद्यार्थी	52	10.50	3.91	

*सार्थकता स्तर 0.01

तालिका 2

प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित बच्चे	बच्चों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी-परीक्षण (t)
सीधे प्रवेशित विद्यार्थी	50	4.5	3.10	7.90*
आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित विद्यार्थी	52	11.10	4.91	

*सार्थकता स्तर 0.01

प्रश्न 2— क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों में भाषायी दक्षता अधिक होती है?

तालिका 2 से विदित होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 5.12 एवं मानक विचलन 2.80 प्राप्त हुआ है जबकि इसी स्तर पर आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 10.50 तथा मानक विचलन 3.91 प्राप्त हुआ है। आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चे तथा आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों के सांख्यिकी मानों में उच्च स्तरीय सार्थकता ($t = 7.70, p < 0.01$) प्राप्त हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों की भाषायी दक्षता का स्तर अधिक पाया गया है।

प्रश्न 3— क्या प्राथमिक विद्यालय में सीधे प्रवेशित बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी के माध्यम से प्रवेशित बच्चों में गणितीय ज्ञान अधिक होता है?

तालिका 3 के अवलोकन से अवगत होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 4.5 एवं मानक विचलन 3.10 प्राप्त हुआ है जबकि इसी स्तर पर आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों का मध्यमान 11.10 तथा मानक विचलन 4.91 प्राप्त हुआ है। आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों में सीधे प्रवेशित बच्चे तथा आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों के सांख्यिकी मानों में उच्च स्तरीय सार्थकता ($t = 7.90, p < 0.01$) प्राप्त हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर सीधे

प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों के गणितीय ज्ञान का स्तर अधिक पाया गया है।

निष्कर्ष तथा शैक्षिक निहितार्थ

तालिका 1 के निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सीधे प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों के सामान्य ज्ञान का स्तर अधिक होता है क्योंकि जो बच्चे विद्यालय में सीधे प्रवेश लेते हैं तो उन बच्चों को आरंभ से भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होता है जबकि आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों को पाठ्यचर्या के सामान्य ज्ञान से आँगनबाड़ियों द्वारा पहले ही परिचित करा दिया जाता है। इसी प्रकार क्रमशः तालिका 2 तथा 3 के अवलोकन से भी विदित होता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की अपेक्षा आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों में भाषायी दक्षता तथा गणितीय ज्ञान की अधिक समझ होती है, जिससे इन्हें भाषा तथा गणित संबंधी समस्याओं को समझने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है। आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों की अभियोग्यताओं में वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकते हैं, जैसे— (i) परिणामों के सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सीधे प्रवेश लेने वाले प्राथमिक स्तर के बच्चों की आँगनबाड़ी के उपरांत प्रवेश लेने वाले बच्चों से अध्ययन में थोड़ी कम रुचि है। (ii) आँगनबाड़ी से प्रवेश लेने वाले बच्चों की अध्ययन में अधिक रुचि है एवं वे अपनी विद्यालय-पूर्व शिक्षा के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में आने के पश्चात् अपनी विद्यालय-पूर्व शिक्षा को प्राथमिक विद्यालय

की शिक्षा से जोड़ने के पश्चात् विषय को भलीभाँति समझ पाते हैं। (iii) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों को पूर्व से ही अक्षर ज्ञान, सामान्य गणितीय ज्ञान आदि का ज्ञान लगभग हो जाता है, जिससे उनको प्राथमिक विद्यालय में अधिक सहायता मिलती है। (iv) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों से सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में विद्यालय प्रतिदिन जाने के प्रति अधिक लगनशीलता होती है। (v) प्राथमिक विद्यालय में आँगनबाड़ी द्वारा पंजीकृत बच्चों के दाखिला लेने की वजह से नामांकन में बढ़ोतरी होती है। (vi) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों के भाषा ज्ञान का स्तर निम्न पाया गया। (vii) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों की गणितीय अभियोग्यता का स्तर सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में उत्तम पाया गया है। (viii) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चे सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में अधिक क्रियाशील प्रतीत होते हैं। (ix) आँगनबाड़ी कार्यक्रम की भूमिका का प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के नामांकन हेतु धनात्मक प्रभाव पड़ता है, तथा (x) आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चों की सभी विषय को पढ़ने एवं समझने में अधिक रुचि होती है।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आँगनबाड़ी द्वारा प्रवेशित बच्चों की सामान्य ज्ञान, भाषायी तथा गणितीय अभियोग्यताओं की समझ सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों से अधिक होती है। इस प्रश्न को इस तर्क से भी सिद्ध किया जा सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के अनुसार बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही 3R's अर्थात् R1-Reading (पढ़ना), R2-wRiting (लिखना) तथा R3-aRithmetic (गणित) शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि इसी के आधार पर महात्मा गांधी ने 3H's के संप्रत्यय को दिया जिसमें H1-Head; Cognitive skill (ज्ञानात्मक कौशल), H2-Heart-Spiritual skills (भावात्मक कौशल) तथा H3-Hand-Psychomotor skills (मनोगत्यात्मक कौशल) के विकास पर जोर दिया जाता है (श्रेयस फाउंडेशन, <http://www.shreyasfoundation.in/gandhian-philosophy.html>)। इससे सिद्ध होता है कि यदि बच्चे में प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने से पूर्व ही 3R's या 3H's की योग्यताएँ विकसित कर दी जाएँ तो इस प्रकार के बच्चे निश्चित रूप से सीधे प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना भाषायी, गणितीय तथा सामान्य अभियोग्यताओं को समझने की अधिक योग्यता रखते होंगे।

संदर्भ

- नीति आयोग. 2015. *ए क्विक इवैल्यूएशन स्टडी ऑफ ऑगनबाड़ी*. प्रोग्राम इवैल्यूएशन. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 7 जून, 2021 को https://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/report-awc.pdf. से प्राप्त.
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2012. *समेकित बाल विकास योजना*. भारत सरकार. 7 जून, 2019 को <https://icds-wcd.nic.in/icdsimg/icdsdtd29102012.pdf>. से प्राप्त।
- राष्ट्रीय सहयोग और बाल विकास संस्थान. 2009. *रिसर्च ऑन आई.सी.डी.एस. एन ऑवरव्यू (1986–1995)*. वॉल्यूम 2. नयी दिल्ली. 17 सितंबर, 2020 को <http://www.nipccd-earchive.wcd.nic.in/sites/default/files/PDF/38b%20%20icdsvol2.pdf>. से प्राप्त।
- लाल, बी.आर. 2014. *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ*. पृ.सं. 335–337. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, उत्तर प्रदेश.
- शिक्षा मंत्रालय. *सर्व शिक्षा अभियान*. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नयी दिल्ली. 6 अगस्त, 2021 को <https://mhrd.gov.in/hi/node/15021>. से प्राप्त।
- . 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृ. 58. भारत सरकार. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf से प्राप्त।
- सचदेव, वाई., बी.एन. टंडन., एन. गांधी और जे. दासगुप्ता. 1996. *इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, सर्वे, इवैल्यूएशन एंड रिसर्च 1975–1995. सेंट्रल टेक्नीकल कमेटी – इंटीग्रेटिड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट*. पृ. सं. 149–152. नयी दिल्ली.
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय. 2021. *भारत 2021*. वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रकाशन विभाग, भारत सरकार.
- श्रेयस फाउंडेशन एजुकेशन. *गाँधीयन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन*. 30 अगस्त, 2020 को <http://www.shreyasfoundation.in/gandhian-philosophy.html> से प्राप्त।